न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

<u>निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस</u>

प्रकरण संख्या **58/2020** अपील (राजस्व)

1. श्री भग्गा पिता माना जी डांगी, निवासी–धमानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री लालाराम पिता माना जी डांगी, निवासी–धमानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री रामलाल पिता माना जी डांगी, निवासी–धमानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्ट

<u>अपील विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर मुकदमा नम्बर 623/2020 ना.क.निर्णय दिनांक 06.11.2020</u>

उपस्थित : 1. श्री भीमराज पटेल, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–14.11.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का धमानिया की रिपोर्ट पर तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपीलार्थीगण को ग्राम धमानिया में खसरा नम्बर 2141/767 व आराजी नम्बर 766 रकबा 0.0500 हेक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा होने बाबत दिनांक 03.11.2020 को उपस्थित हो अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलार्थी को उक्त पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश कर नाजायज कब्जा नही होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:06 IST
Reason: SelfAttested

एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया। तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा पंचायत राज. चुनाव होने की वजह से आगे की पेशी तारीख नही बतायी गई एवं 06.11.2020 को अपीलार्थीगण के अवैध कब्जे के आरोप मानते हुए बेदखल के आदेश दिए तथा 500/– रूपया शास्ति आरोपित की गयी जबकि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में अपीलार्थीगण द्वारा कथन किए कि आराजी संख्या 766 खातेदारी की भूमि है तथा आराजी संख्या 2141/767 पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धमानिया की बाउण्ड्रीवॉल बनी हुई है फिर भी अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलार्थीगण के जवाब को नजरअन्दाज करते हुए बेदखली एवं शास्ति आरोपित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के जवाब के सपोर्ट में साक्ष्य एवं सबूत पेश करने का भी अवसर प्रदान नही किया तथा अपीलार्थीगण को अपने गवाह पेश करने का भी अवसर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना पत्र में आराजी संख्या 2141/767 व आराजी संख्या 766 पर नाजायज कब्जा होने का कथन किया जबकि आदेश में 2119/760 पर कब्जा होने का कथन करते हुए आदेश पारित किया है। तथाकथित आदेश परफोर्मा फार्म में पारित किया है जो निर्णय एवं आदेश की परिभाषा में नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध संयुक्त रूप से नाजायज कब्जे बाबत कार्यवाही की गयी है जो कि गलत है जबकि प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध पृथक –पृथक रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए थी तथा किस किस व्यक्ति का कितना कितना नाजायज कब्जा है यह उक्त आदेश में स्पष्ट अंकित नही किया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय एवं आदेश विधि एवं नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध है अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.11.2020 अपास्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई जो संलग्न पत्रावली है। पत्रावली पर उभयपक्ष को सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रकरण में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील पर वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम धमानिया में खसरा नम्बर 2141/767 व आराजी नम्बर 766 रकबा 0.0500 हेक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा होने बाबत दिनांक 03.11.2020 को उपस्थित हो अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलार्थी को उक्त पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर नाजायज कब्जा नही होने एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया। तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा पंचायत राज. चुनाव होने की वजह से आगे की पेशी तारीख नही बतायी गई एवं 06.11.2020 को अपीलार्थीगण के अवैध कब्जे के आरोप मानते हुए बेदखल के आदेश दिए तथा 500/– रूपया शास्ति आरोपित की गयी जबकि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में अपीलार्थीगण द्वारा कथन किए कि आराजी संख्या 766 खातेदारी की भूमि है तथा आराजी संख्या 2141/767 पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धमानिया की बाउण्ड्रीवॉल बनी हुई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के जवाब को नजरअन्दाज करते हुए बेदखली एवं शास्ति आरोपित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना पत्र में आराजी संख्या 2141/767 व आराजी संख्या 766 पर नाजायज कब्जा होने का कथन किया जबकि आदेश में 2119/760 पर कब्जा होने का कथन करते हुए आदेश पारित किया है। तथाकथित आदेश परफोर्मा फार्म में पारित किया है जो निर्णय एवं आदेश की परिभाषा में नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध संयुक्त रूप से नाजायज कब्जे बाबत कार्यवाही की गयी है जो कि गलत है जबकि प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध पृथक –पृथक रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए थी तथा किस किस व्यक्ति का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:06 IST
Reason: SelfAttested

कितना कितना नाजायज कब्जा है यह उक्त आदेश में स्पष्ट अंकित नही किया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय एवं आदेश विधि एवं नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध है अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर का निर्णय दिनांक 06.11.2020 अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान पेरोकार सरकार द्वारा अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम धमानिया की आराजी नंबर 2141/767 व आराजी नम्बर 2119/760 रकबा 0.0500 हेक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा करने से अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 का प्रकरण दर्ज किया गया। सूचना पत्र में आराजी नम्बर 2141/767 व आराजी नम्बर 766 रकबा 0.0500 हेक्टेयर का अंकन होने से अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.11.2020 को उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि आराजी नम्बर 766 खातेदारी भूमि है ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 766 में अतिक्रमण नही होकर आराजी नम्बर 2141/767 एवं 2119/760 किस्म क्रमशः चारागाह एवं बिलानाम रास्ता पर अपीलार्थी का अतिक्रमण हैं। पटवारी हल्का द्वारा निवेदन किया गया कि बटरशीट में आराजी नम्बर 2119/760 की जगह 766 प्रिन्ट होने से सूचना पत्र में आराजी नम्बर 766 अंकित किया गया है अतः आराजी नम्बर 766 के स्थान पर 2119/760 बिलानाम रास्ता अंकन किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा भूमि पर स्वामित्व सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का विनम्र मत है कि अपीलार्थी द्वारा बिलानाम रास्ता एवं चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.11.2020 को अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand
Meena
Date: 2023.03.13 16:15:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया एवं प्रस्तुत जवाब में प्रस्तुत तथ्यों की जांच उपरान्त दिनांक 06.11.2020 को निर्णय पारित किया गया है स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या इस न्यायालय में स्वामित्व सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है ना ही चारागाह भूमि एवं बिलानाम रास्ता भूमि नियमन योग्य है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के प्र.सं. 623/2020 निर्णय दिनांक 06.11.2020 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:06 IST
Reason: SelfAttested